न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र सं0 11/2022 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.
रामधन पुत्र झन्जू जाति माली निवासी उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा

... प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप जिला कलक्टर) बांदीकुई
2. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कियान्वयन इकाई 87, गंगा विहार कालोनी, रावत होटल के पीछे, दौसा जिला दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम विरूद्ध अवार्ड आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलक्टर बांदीकुई।

उपस्थित– 1. श्री जगजीवन राम, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री रामचरण शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2

निर्णय दिनांक 26.03.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप जिला कलक्टर) बांदीकुई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.148 एन दौसा के अंतर्गत ग्राम उनबडागांव में स्थित खसरा नंबर 1172 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उप जिला कलक्टर) बांदीकुई से बिन्दुवार तत्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी कि भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 1882 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन दिल्ली से 2 बडौदरा एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन हेतु ग्राम ऊनबडागांव तहसील बसवा की कृषि भूमि खसरा नंबर 1172 रकबा 0.44 है0 भूमि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवाप्त की गई थी। उक्त अवाप्तशुदा भूमि का प्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड खातेदार व काबिज है तथा उक्त भूमि में प्रार्थी ने 2 पेड करूंजा, एक पेड नींबू, दो पेड बेरडी तथा एक पेड बील का जिनकी उम्र करीब 5–6 वर्ष है तथा फलदार पेड है जिससे प्रार्थी को काफी फलो से आय अर्जित होती है इसके अलावा उक्त भूमि में प्राकृतिक पांच पेड नीम के उम्र 8–10 वर्ष तथा एक पेड पीपल का 40 वर्ष पुराना जुगादी पेड है जिससे प्रार्थी को काफी आय हर वर्ष होती है। तथा उक्त पेड फलदार पेड है। जिनका मालिक प्रार्थी स्वयं है। तथा प्रार्थी द्वारा उक्त पेडों की परवरिश व उनके पालन पोषण में काफी रूपया खर्च किया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अवाप्तशुदा भूमि खसरा नंबर 1172 ग्राम ऊनबडागांव की भूमि का मुआवजा का निर्धारण तो कर दिया गया व अवार्ड जारी कर दिया जबकि उक्त भूमि में लगे व लगे हुए उक्त पेडो का कोई मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया जो कानूनन व नियमानुसार अवाप्तशुदा भूमि में उगे हुए पेडों का कोई निर्धारण है तो उसके भी मुआवजा निर्धारण किया जाकर मुआवजा दिलाया जाना न्यायसंगत है परन्तु अप्रार्थी नंबर 1 प्रार्थी को वर्णित पेडों का कोई मुआवजे का निर्धारण ही नहीं किया और ना ही कोई मुआवजा राशि प्रार्थी को नहीं दिलाई इसलिए भूअवाप्ति अधिकारी का निर्धारण आदेश विधि विरूद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित पेडों का मुआवजा दिलाने हेतु उप जिला कलेक्टर भूअवाप्ति अधिकारी बांदीकुई को दिनांक 14.09.2021, 04.08.2021 व 23.11.2021 को प्रार्थना पत्र भी दिया जिस पर पटवारी हल्का से मौके की रिपोर्ट मांगी गई। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 18.12.2021 में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है तथा चरण नंबर 2 में वर्णित पेडों के संबंध में अपनी रिपोर्ट अप्रार्थी नंबर 1 को भेजी है परन्तु इन तमाम तथ्यों के बावजूद भी अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा ना तो पेडों के संबंध में पुनः मुआवजा का निर्धारण किया और न ही कोई मुआवजा राशि निर्धारित की और कोई मुआवजा भी नहीं दिया गया। उक्त तमाम तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी नंबर 1 का मुआवजा अवार्ड आदेश कानून व नियम विरूद्व है क्योंकि अप्रार्थी नंबर 1 ने अवाप्तशुदा भूमि में उगे हुए पेडों के बाबत कोई मुआवजे का निर्धारण ही नहीं किया इसलिए पुनः मुआवजा का निर्धारण किया जाकर मुआवजा राशि दिलाया जाना आवश्यक है। इसलिए भी अप्रार्थी नंबर 1 का अवार्ड आदेश अवैधानिक होने के कारण भी निरस्तनीय हैं।अप्रार्थी नंबर 1 ने दिनांक 30–1–22 को पुनः मुआवजा का निर्धारण करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करो इसलिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। भूमि अवाप्ति अधिकारी का आदेश अवैधानिक व कानून विरूद्व होने के कारण निरस्तनीय किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर द्वाराप्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी नंबर 1 का अवार्ड आदेश में संशोधन करने हेतु अप्रार्थी नंबर 1 को आदेश व निर्देश फरमाया जावे कि वे मौके व पटवारी हल्का की रिपोर्ट को मध्यनजर रखते हुए अवाप्तशुदा भूमि में उगे हुए पेडों का जिनका विवरण प्रार्थना पत्र के चरण नंबर 2 में अंकित है का मुआवजा का पुनः निर्धारण कर भूमि के साथ–साथ पेडों का भी मुआवजा प्रार्थीगण को नियमानुसार दिलाने हेतु आदेश फरमाने तथा पुनः संशोधित अवार्ड फरमाने हेतु आदेश फरमाने की कृपा करे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा विधिवत एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर पारित किया गया है। प्रार्थी गलत आधारों पर मुआवजा लेना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने बहस में कथन किया कि कि भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148एन के (दिल्ली – बडोदरा ऐक्सप्रेसवे) के 149.000 कि.मी. से 170.800 कि.मी. तक के भू–खण्ड के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचारन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनीत किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राजमार्ग संख्या 148एन के 149.000 कि.मी. से 170.800 कि.मी. तक (दिल्ली –बडोदरा ऐक्सप्रेसवे) के निर्माण (चौडीकरण / पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचारण के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हु[illegible] परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचना संख्या [illegible] 21.08.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08.2018 को प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना का.आ. 4114 दिनांक 21.08.2018 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 (क) की उपधारा (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर और दैनिक नवज्योति में दिनांक 09.09.2018 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। उक्त अधिसूचना में वाके गांव उनबडागांव खसरा नम्बर 1172 निजी किस्म चाही– 2 दर्ज थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

कसं	जिले का नाम	ताल्लुका का नाम	गांव का नाम	खसरा नंबर	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल है0 में
81	दौसा	बसवा	उनबडागांव	1172 -	निजी	चाही–2	0.44

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरुद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा सक्षम अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3सी के अर्न्तगत आपत्तियों प्रस्तुत की गई उन्हे पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हें निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का. आ. 556 (अ) दिनांक 30.01.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 30.01.2019 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों समाचार जगत व राजस्थान पत्रिका दोनों में दिनांक 08.02.2019 के अंकों में प्रकाशित किया गया।

जिले का नामः दौसा तालुका का नामः बसवा गांव का नामः उनबडागॉव					
कसं	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हैक्टेयर में	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1260	1172	निजी	चाही–2	0.01999	रामधन पुत्र झन्जू हिस्सा पूर्ण जाति माली सा.देह खातेदार राहिन पूर्ण खाता एस.बी.आई.बांदीकुई

उक्त अधिसूचना के पश्चात अधिग्रहित भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी 3ए अधिसूचना में वाके ग्राम उनबडागांव तहसील बसवा जिला दौसा के अवाप्त रकबे के बाबत् अधिसुचना प्रकाशित की गई। उक्त आराजी के एवम् समस्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित हितधारीयों से आक्षेप आमंत्रित किये गये। प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करने के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त विवादित आराजी के अर्जन बाबत् रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार नई दिल्ली को भेजी गई जिसके आधार पर केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा 3डी की अधिसुचना प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना में यह अंकित किया गया कि इस अधिसुचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिग्रहित भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3डी (4) में स्पष्ट प्रावधान है कि 3डी (1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना को किसी भी न्यायालय अथवा ऑथोरिटी के समक्ष चुनौतर नहीं दी जा सकेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3डी के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण. रख–रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत, अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवम् निर्धारण किया गया व राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी में दिये गये प्रावधानों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनः व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के तहत वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि निर्धारित की गई। अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 'सक्षम प्राधिकारी को जमा करवा दिया गया। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रकिया कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। अर्जित भूमि पर स्थित भवन, वृक्षों व फसल आदि की मुआवजा राशि :–राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा–30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्तियों या आस्तियों के बाजार मुल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या ऐसे किसी अन्य विशेषज्ञ विभाग ही मुल्यांकन हेतु अधिकृत है, जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी (भू०अ०) द्वारा भूमि पर स्थित छायादार/फलदार वृक्षों का मूल्यांकन वन विभाग (**Forest Department**) एवं सहायक निदेशक उद्यान (**Horticulture Department**) दौसा से करवाया गया है एवं संबंधित खातेदार/ हितबद्ध व्यक्तियों को फलदार वृक्षों का देय प्रतिकर राशि पर अधिनियम 2013 की धारा 30 ए के अन्तर्गत 100 प्रतिशत तोषणं राशि जोडते हुए अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित फलदार/छायादार वृक्षों का जो अवार्ड पारित किया गया वह सम्पूर्ण जांच के पश्चात रिकार्ड, मौका रिपोर्ट एवं तथ्यों के आधार पर पूर्णतया सही विधि के प्रावधानो के अनुसार मिन उत्तरदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष जमा करा दिया गया है। इसके अलावा अन्य कोई मुआवजा राशि प्रार्थी प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी नही है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु अधिग्रहित की गयी है। अधिग्रहण का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवावसायिक है । लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके । ईधन / उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम एवं सुरक्षित हो तथा अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निर्धारित किया गया है जो विधिं सम्मत् एवं उचित है । वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत की गईं हैं। प्रार्थी द्वारा विधि, कानून, एवम न्याय के प्रतिपादित सिद्धान्तो के एकदम विपरीत जाकर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है।न्यायालय श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र पर श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नही होने से वाद प्रार्थना पत्र प्राथमिक तौर चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। उपरोक्त परिस्थिति अनुसार एवम मिन अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में जो उपर के चरणो में वर्णित किया है उनके अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बार्ड बाई लॉ (विधि द्वारा वर्जित) होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कानूनन इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। धारा 3डी के नोटिफिकेशन के पश्चात् भूमि केन्द्र सरकार में निहित हो जाति है व अपीलार्थी द्वारा केन्द्र सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है मात्र इस कारण से भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण में भारत सरकार एक आवश्यक पक्षकार जिसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 80 सीपीसी के अन्तर्गत दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण में अप्रार्थीगण को दो माह का नोटिस नही दिया गया है, ना ही न्यायालय श्रीमान द्वारा धारा 80 (2) जा०दी० के अन्तर्गत प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने की किसी भी आदेशिका में अनुमति ही प्रदान की है । ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के उपरोक्त [illegible] यह स्पष्ट है किं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत [illegible] चलने योग्य नहीं है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय हर्जे–खर्चे [illegible] के प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को निरस्त नहीं किया गया तथा प्रार्थी [illegible] में आगे कार्यवाही की गई तों यह प्रार्थी द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा क्योंकि [illegible] र्थी का प्रार्थना–पत्र सरसरी तौर पर निरस्तनीय है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:53 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर, दौसा

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से टिप्पणी प्राप्त की गई जिसके अनुसार " ग्राम उनबडागांव तहसील बसवा स्थित भूमि खसरा नंबर 1172 में से 0.0199 है. भूमि दिल्ली बडौदरा एक्सप्रेस वे के निर्माण हेतु अवाप्त की गई थी। इस भूमि का मुआवजा भुगतान लाभार्थियों को किया जा चुका है। ग्राम उनबडागांव स्थित खसरा नंबर 1172 में से केवल 0.0199 है. भूमि अवाप्त की गई है। इस भूमि पर ना तो कोई फलदार पेड स्थित थे; और ना ही कोई छायादार पेड स्थित थे। फलदार पेडों का अवार्ड दिनांक 4.3.2021 को एवं छायादार पेडों का अवार्ड दिनांक 26.3.2021 को पटवारी, गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा जांच कर अवार्डो को प्रमाणित करने के उपरांत विधिक प्रक्रिया पूर्ण कर पारित किये गये है।
7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. उभपक्षकारों के मध्य मुख्यतः अवाप्त की गई भूमि पर पेडों के मुआवजे के संबंध में विवाद है।
9. प्रार्थी का कथन है कि अवाप्त की गई भूमि पर दो बडे पेड करूंजा, 1 पेड नीबू, 2 पेड बेरडी तथा 1 पेड बील का जिसकी उम्र 5 से 6 वर्ष एवं फलदार पेड है एवं इसके अतिरिक्त प्राकृतिक 5 पेड नीम के जिनकी उम्र 8 से 10 वर्ष एवं 1 पेड पीपल जिसकी उम्र 40 वर्ष थी का मुआवजा प्रार्थी को दिया जावें वहीं अप्रार्थी सं0 2 का कथन है कि प्रार्थी की भूमि रकबा 0.44है. में से 0.019है0 का ही अधिग्रहण किया गया है एवं नियमानुसार अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा प्रार्थी को दिया जा चुका है।
10. हमारे समक्ष यह भी तथ्य सामने है कि प्रार्थी द्वारा समय समय पर अर्थात 14.9.2021, 4.8.2021, 23.11.2021 को उप जिला अधिकारी बांदीकुई को इस संबंध में प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किये है।
11. हमारे समक्ष पटवारी उनबडागांव की रिपोर्ट दिनांक 18.12.2021 भी प्रस्तुत है जिसमें पटवारी द्वारा निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे में उक्त खसरे में जो कि अवाप्त किया जाना है में दो पेड करूंजा, 1 पेड नीबू, दो पेड बेरडी तथा एक पेड बील जिसकी आयु 5 से 6 साल है के संबंध में टिप्पणी की है।
12. हमारे समक्ष यह तथ्य भी सामने है किं यदि वह वृक्ष तत्समय अस्तित्व में थे तो वर्तमान में मौका जांच कर उस संबंध में जांच नहीं करवाई जा सकती क्योंकि एन.एच. के निर्माण के कारण उन वृक्षों को हटा दिया गया होगा। अतः ऐसे में उनकी आयु इत्यादि की भी जांच वन विभाग या उधानिकी विभाग से अब नहीं करवाई जा सकती।
13. अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर हम पटवारी की रिपोर्ट (उनकी आयु एवं संख्या) के आधार पर इस बात से सहमत हैं कि तत्समय मौके पर 5 से 6 वर्ष के दो पेड करूंजा, 1 पेड नीबू, दो पेड बेरडी मौके पर अवाप्त की गई भूमि पर अस्तित्व में थे। अतः भूमि अवाप्ति अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्त वृक्षों का अवार्ड यदि जारी नहीं किया गया है तो वृक्षों का नियमानुसार अवार्ड जारी करें एवं अप्रार्थी सं0 2 नियमानुसार अवार्ड राशि का भुगतान करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

DO

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 26 मार्च, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 11:10:53 IST
Reason: SelfAttested

DO

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official